

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

## लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

96, महात्मा गाँधी मार्ग,  
लखनऊ।

पत्रांक 139 कैम्प-प्र.प्र. विकास/01 सरकुलर/17

दिनांक 06/04/17

### कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-6/2017/350/23-7-17-176(सामान्य)/06 टी.सी., दिनांक 31.03.2017 द्वारा निर्णय लिया गया है कि लोक निर्माण विभाग के समस्त प्रकार के कार्य ई-टेण्डरिंग से किए जायेंगे। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश/माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग द्वारा ये भी आदेश दिए गए हैं कि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु "पत्थर, गिट्टी की आपूर्ति व अन्य निर्माण सामग्री इत्यादि" के लिए रु0 1.00 लाख के आपूर्ति आदेश निर्गत किए जाने की व्यवस्था को भी बन्द किया जाय।

६०/-  
(वी० के० सिंह)  
प्रमुख अभियन्ता (विकास)  
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/(परिकल्प एवं नियोजन), लो०नि०वि०, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेश, उ०प्र०राज्य सेतु निगम लि०/उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/क्षेत्रीय), लो०नि०वि०, उ०प्र०।
5. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लो०नि०वि०, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र० (ईमेल)।

1002/14/17  
प्रमुख अभियन्ता (विकास)  
विभागाध्यक्ष